

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

गिरिराज बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा- प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 ए

मु0नं0- 75/2024

पीठासीन अधिकारी- यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2024	<p>प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0आर0एक्ट प्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र बैसला द्वारा पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा 90 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम गढ तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है, प्रार्थीगण की उक्त भूमि का तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2024 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पत्थरगढी बाबत आवेदन किया गया है। पत्रावली में विचाराधीन भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है इसलिए उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा को वाके ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 0.1300 है0 पर पत्थरगढी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।</p> <p>तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)